POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.02.2024

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह सरगना सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आरआरयू उपकरण, चोरी करने में प्रयुक्त औजार व अवैध हथियार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.02.2024 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.रणजीत पुत्र विजय सिंह 2.शारुख खान उर्फ मौ0 फारुख पुत्र अय्यूब खान 3.नीरज पुत्र ओमबीर सिंह 4.नितिन पुत्र सतीश चन्द्र को नट मढैया गोलचक्कर के पास सेक्टर सिग्मा 3 की सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये आरआरयू उपकरण व चोरी करने में प्रयुक्त 02 पाइपरिंच, 02 रिंच, 01 हथौड़ा व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

घटनाक्रम का विवरण-- सभी अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं, जिनका एक गिरोह है गिरोह का सरगना नीरज है जो आईटीसी (अमेरिकन टावर कार्पोरेशन) कम्पनी साइट-14 सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में पिछले दो वर्षों से टेक्नीशियन का कार्य करता है जिसे टावरों के उपकरणों को लगाने-खोलने की पूर्ण जानकारी है। अभियुक्त शाहरूख, रणजीत, नितिन इस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त नीरज मोबाइल टावरों की साइटों से सह-अभियुक्तों की मदद से टावरों में लगे आरआरयू उपकरण जिसकी बाजारू कीमत लगभग एक-डेढ़ लाख रूपये होती है, को चोरी कर बेचकर अवैध धन अर्जित करते हैं।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रणजीत पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम तिलौटी थाना सासनी जिला हाथरस।
2. शाहरुख खान उर्फ मौ0 फारुख पुत्र अय्यूब खान निवासी गेट न0-3, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. नीरज पुत्र ओमबीर सिंह निवासी ग्राम भगवान पुर थाना मुण्डाली जिला मेरठ।
4. नितिन पुत्र सतीश चन्द्र निवासी ग्राम मदापुर थाना बरला जिला अलीगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 48/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर बनाम रणजीत व शाहरुख।
2. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर बनाम उपरोक्त सभी।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 पाइपरिंच
2. 02 रिंच
3. 01 हथौड़ा
4. 02 अवैध तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर